>

Title: Issue regarding exemption of T.E.T. in Uttrakhand.

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान उत्तराखंड के प्रशिक्षित शिक्षा मित्रों की ओर आकर्Âिात करना चाहता हूं। महोदया, ये शिक्षा मित्र गत् 8-10 वÂाों से नियमित रूप से अपनी सेवाएं राज्य के विभिन्न विद्यालयों में प्रदान कर रहे हैं। अब इनका समायोजना सहायक अध्यापक के रूप में होना है। ऐसे में 22 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्ति पत्र या नियुक्ति पा चुके शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनने के लिए जब टी.ई.टी. की बाध्यता नहीं है, तो बार-बार इस मुद्दे को उठाकर क्यों इन लोगों को असमंजस में डाला जाता है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड के जो प्रशिक्षित गुरिल्ला हैं उनका समायोजन राज्य में आपदा के लिए गठित होने वाली एन.डी.आर.एफ में करें जिससे उन प्रशिक्षित गुरिल्लाओं की सेवाओं का लाभ आपदा में लिया जा सके।

आशा कार्यकत्रियों का मानदेय बढ़ाना चाहिए और आंगनवाड़ी कर्मियों का अवकाश व मानदेय में वृद्धि करनी चाहिए।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वे 22 अगस्त 2010 से पहले नियुक्ति पाये शिक्षा मित्रों के सहायक अध्यापक बनने के लिए जब टी.ई.टी की बाध्यता नहीं है तो उसकी स्पÂट जानकारी उन तक पहुंचाये।